रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5091] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2018/पौष 6, 1940
No. 5091] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSHA 6, 1940

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6332(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पशु आवरण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु आवरण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पशु आवरण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 के नियम 7(1), के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"7(1) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा नियम 5 के उप-नियम (4) के प्रावधानों के अनुसार स्थापना के अनुमोदन या नवीकरण के लिए आवेदन के साथ 5000 हज़ार रुपए का शुल्क एवं मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य एवं कर(ओं) के 0.20 की दर से, अथवा प्रति माल 2000 रुपये (जो भी अधिक हो), उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा।

नोट : निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि और कर (ओं) को भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह

भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

[फा.सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना सं. का.आ. 2948 दिनांक 03 नवम्बर, 1997 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके पश्चात अधिसूचना सं. का.आ. 1315(ई) दिनांक 08 जून, 2012 द्वारा इसमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6332(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Animal Casing (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1997, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Animal Casing (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Animal Casing (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, for rule 7(1), the following rule shall be substituted, namely: -

"7 (1) A fee of five thousand rupees shall be paid by the establishment along with the application for approval or renewal of the establishment in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 5 and a monitoring fee at the rate of 0.20 percent of free on board value and tax(s), as applicable, shall be paid or an amount of two thousand rupees whichever is higher by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs. 25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note.-The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No.16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note. - The Principal Rules were published in Gazette of India, Extraordinary, vide Notification S.O. 2948 dated the 3rd November, 1997, subsequently amended vide Notification S.O. 1315(E) dated the 8th June, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6333(अ)— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काली मिर्च के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1991 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम काली मिर्च के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. काली मिर्च के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1991 के नियम 10.1, के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(10.1) प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.4 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत की दर से, प्रति माल न्यूनतम 50 रुपये के अधीन, उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।"

[फा.सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 1311 दिनांक 22 अप्रैल, 1991 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6333(E).—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Black Pepper (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1991, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Black Pepper (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Black Pepper (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1991, for rule 10.1, the following rule shall be substituted, namely: -

"10.1. Subject to a minimum of Rs. 50 for each consignment, a fee at the rate of 0.4 percent and 0.2 percent of free on board value of the consignment shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.".

[F. No.16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note.- The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 1311 dated the 22nd April, 1991

.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6334 (अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दुग्ध उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2000 के उप-नियम 6(ख), के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"6(ख) प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।"

नोट : निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि का भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. 2720 दिनांक 28 नवम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसके पश्चात अधिसूचना सं. का.आ. 3719 दिनांक 30 नवम्बर, 2002, का.आ. 999(ई) दिनांक 13 सितम्बर, 2004, का.आ. 1397 दिनांक 24 अप्रैल, 2007 तथा का.आ. 1515 दिनांक 16 जून, 2008 द्वारा संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi the 28th November, 2018

S. O. 6334(E).— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Milk Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 2000, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Milk Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Milk Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2000, for rule 6(b), the following rule shall be substituted, namely: -

"6 (b). A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board value and tax (s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note.- The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note. - The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 2720 dated the 28th November 2000 subsequently amended vide No. Notifications S.O. 3719 dated the 30th November 2002, S.O. 999 (E) dated the 13th September 2004, S.O. 1397 dated the 24th April 2007 and S.O. 1515 dated the 16th June 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6335 (अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कच्चा मांस (शीतित/प्रशीतित) के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण) नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कच्चा मांस (शीतित / शीतित) के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कच्चा मांस (शीतित / प्रशीतित) के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण) नियम, 1992 के नियम-7ए के उप-नियम (1) के अनुच्छेद (II), के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(ii) प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से, कच्चा मांस (शीतित / शीतित) के प्रति माल के न्यूनतम 500 रुपये के अधीन, उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।"

नोट : निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि का भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 204 दिनांक 15 जनवरी, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना का.आ. 1989 दिनांक 03 सितम्बर, 1993, तथा का.आ. 3023(ई) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 द्वारा इसमें संशोधन किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6335(E).— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992 , namely: -

1. (1) These rules shall be called the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, for clause (II) of sub rule (1) of rule 7 A, the following clause shall be substituted, namely: -

"(ii). A fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of the Raw Meat (Chilled/Frozen) to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note: The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note: - The Principal Rules were published in Gazette of India vide S.O. 204 dated the 15th January, 1993 subsequently amended by S.O. 1989 dated the 03rd September 1993 and S.O. 3023(E) dated the 28th December,2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6336 (अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. शहद के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"6 प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।

नोट : निर्यातक या प्रसंकरणकर्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि को भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 277(ई) दिनांक 04 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 1444 दिनांक 19 दिसम्बर, 2003, का.आ. 1245 दिनांक 14 मई, 2004, का.आ. 1518 दिनांक 16 जून, 2008 तथा का.आ. 1581(ई) दिनांक 16 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6336(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Honey (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 2002, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Honey (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely: -

"6. A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note: The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note.- The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide Notification S.O. 277 (E) dated the 04th March 2002, subsequently amended vide No. Notifications S.O. 1444 dated the 19th December 2003, S.O. 1245 dated the 14th May 2004, S.O. 1518 dated the 16th June, 2008, S.O. 1581(E) dated the 16th July 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6337 (अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. बासमती चावल के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2003 के नियम 7, के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"7 प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा।

नोट : निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि का भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]
संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 68(ई) दिनांक 23 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 1139 दिनांक 26 अप्रैल, 2004, का.आ. 716 दिनांक 25 फरवरी, 2005, का.आ. 791(ई) दिनांक 24 मई, 2006 तथा का.आ. 2615(ई) दिनांक 27 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6337(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Rules, 2003, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Basmati Rice (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Basmati Rice (Quality Control, Inspection) Rules, 2003, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely: -

"7. A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note: The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]
SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note.- The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 68 (E) dated the 23rd January, 2003 and subsequently amended vide S.O. 1139 dated the 26th April, 2004, S.O. 716 dated the 25th February 2005, S.O. 791 (E) dated the 24th May 2006 and S.O. 2615 (E) dated the 27th August,2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6338 (अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फल और सब्जी उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फल और सब्जी उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. फल और सब्जी उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, और निरीक्षण) नियम, 2016 के नियम-7 के उप-नियम (1) के अनुच्छेद (ii), के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(ii) प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.15 प्रतिशत की दर से, फल और सब्जी उत्पादों के प्रति माल न्यूनतम 500 रुपये के अधीन, उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 3353(ई) दिनांक 28 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6338(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Rules, 2016, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fruit and Vegetable Products (Quality Control, Inspection) Rules, 2016, for clause (ii) of sub-rule (1) of rule 7, the following clause shall be substituted, namely: -

"(ii). a fee at the rate of 0.15 percent of the freight on board value shall be payable subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of the fruit and vegetable products to the Agency and subject to maximum of Rs. Twenty Five lakh per annum per exporter/processor.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note. - The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 3353 (E) dated the 28th October, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6339 (अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पोषण भोज्य एवं पूर्व-मिश्रण के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मॉनीटरिंग) नियम, 2013 के नियम-14 के उप-नियम (2), के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(2) प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से, प्रति माल न्यूनतम 2000 रुपये के अधीन, उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 3524(ई) दिनांक 28 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6339(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Feed Additives and Premixtures (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 2013, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Feed Additives and Premixtures (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Feed Additives and Premixtures (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2013, for sub-rule (2) of rule 14, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

" (2). A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax (s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter subjected to minimum of Rs. 2000 per consignment to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor."

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note.- The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 3524(E) dated the 28th November 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6340(अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 के उप-नियम 6.2 के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"6.2 प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।

नोट : निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि का भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, में सं. का.आ. 2078 दिनांक 04 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना का.आ. 1443 (ई) दिनांक 19 दिसम्बर, 2003, का.आ. 721 दिनांक 25 फरवरी, 2005, तथा का.आ. 1516 दिनांक 16 जून, 2008 द्वारा संशोधन किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6340(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Egg Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1997, namely: -

1. (1) These rules shall be called the Export of Egg Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, for sub- rule 6.2, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"6.2. A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note. - The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note.- The Principal Rules were published in Gazette of India Extraordinary, vide S.O. 2078 dated the 4th August 1997,subsequently amended vide Notification S.O. 1443 (E) the 19th December 2003, S.O. 721 dated the 25th February 2005 and S.O. 1516 dated the 16th June 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

का.आ. 6341(अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) को धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजा, प्रशीतित और संसाधित मछली और मत्स्य पालन उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजा, जमे हुए और संसाधित मछली और मत्स्य पालन उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ताजा, प्रशीतित और संसाधित मछली और मत्स्य पालन उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1995 के उप-नियम 16.2, के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"16.2 प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त नि: शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्ता होगा।

नोट : निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि का भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।"

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में का.आ. 730(ई) दिनांक 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 415(ई) दिनांक 11 अप्रैल, 2002, का.आ. 1029(ई) दिनांक 24 सितम्बर, 2002, का.आ. 1034(ई) दिनांक 09 सितम्बर, 2003, का.आ. 717 दिनांक 25 फरवरी, 2005, का.आ. 612 दिनांक 15 फरवरी, 2007, का.आ. 1519(ई) दिनांक 16 जून, 2008, का.आ. 2714 (ई) दिनांक 28 अक्टूबर, 2009, का.आ. 143 (ई) दिनांक 21 जनवरी, 2011 तथा का.आ. 497(ई) दिनांक 10 मार्च, 2011 द्वारा संशोधन किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

S.O. 6341(E).— In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely : -

1. (1) These rules shall be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, for sub-rule 16.2, the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"16.2. A monitoring fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B.) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs. 25 lakhs per annum per exporter or processor.

Note: The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the processor / exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.".

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary vide notification number S.O. 730(E) dated the 21st August, 1995 and subsequently amended vide notification number S.O. 415(E), dated the 11th April, 2002, S.O. 1029(E), dated the 24th September, 2002, S.O. 1034 (E), dated the 9th September, 2003, S.O. 717, dated the 25th February, 2005, S.O. 612, dated the 15th February, 2007, S.O. 1519 (E), dated the 16th June, 2008, S.O. 2714 (E), dated the 28th October, 2009, S.O. 143 (E), dated the 21st January, 2011 and S.O. 497 (E), dated the 10th March, 2011.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.03 19:13:12 +05'30'